

# प्रेस नोट थाना रामगढताल दिनांक 24.07.2021

## **महिला के साथ छेड़छाड़ व दुर्ब्यवहार करने आरोप में अभियुक्त गिरफ्तार**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर द्वारा जनपद में अपराधों पर रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी कैण्ट के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक श्री जगत नारायण सिंह थाना रामगढताल जनपद गोरखपुर मय उ0नि0 राजेश कुमार सिंह व उ0नि0 धर्मेन्द्र जैन मय टीम को लगाया गया था। मुखबिर की सूचना पर कि काल्पनिक महिला के साथ छेड़छाड़ व दुर्ब्यवहार करने वाला अभियुक्त हनुमान मंदिर तिराहा के पास खड़ा है। इस सूचना पर उ0नि0 राजेश कुमार सिंह व उ0नि0 धर्मेन्द्र जैन पहुँचकर मय पुलिस टीम उपरोक्त बताये स्थान पर पहुँचकर अभियुक्त को घेरघार कर पकड़ लिये। नाम पता पूछने पर अपना नाम अमीरूल हक उर्फ आमीर पुत्र अनवारूल हक निवासी रहमतनगर पोस्ट गीताप्रेस थाना राजघाट जनपद गोरखपुर बताया जिसको मु0अ0सं0- 283/2021 धारा 354, 420, 506 भादवि व 3/5 धर्म परिवर्तन अधिनियम का अपराध बताते हुए आज दिनांक 24.07.2021 को समय करीब 10.30 बजे हिरासत में लिया गया, जिसके संबंध में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### गिरफ्तार अभियुक्त

अमीरूल हक उर्फ आमीर पुत्र अनवारूल हक निवासी रहमतनगर पोस्ट गीताप्रेस थाना राजघाट जनपद गोरखपुर हाल पता ब्लॉक X रूम नं0 05 कांशीराम शहरी आवास योजना थाना रामगढताल जनपद गोरखपुर।

### गिरफ्तारी का स्थान व दिनांक

स्थान – हनुमान मंदिर तिराहा।

दिनांक- 24.07.2021 को समय करीब 10.30 बजे

### जिस अपराध में गिरफ्तार किया गया

मु0अ0सं0- 283/2021 धारा 354, 420, 506 भादवि व 3/5 धर्म परिवर्तन अधिनियम

### गिरफ्तारी बरामद करने वाली पुलिस टीम

1. प्रभारी निरीक्षक श्री जगत नारायण सिंह थाना रामगढताल जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 श्री राजेश कुमार सिंह थाना रामगढताल जनपद गोरखपुर
3. उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र जैन थाना रामगढताल जनपद गोरखपुर
4. का0 प्रवीण कुमार पाण्डेय थाना रामगढताल जनपद गोरखपुर
5. का0 देवानन्द थाना रामगढताल जनपद गोरखपुर